"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 फरवरी 2011—माघ 20, शक 1932

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-03/2011/वा.कर (आब.)/पांच (10).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा पूर्व में इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं को अधिक्रमिक करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) के आयात के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आयात फीस दिनांक 01 अप्रैल 2011 से विहित करती है :—

आयात फीस

(क) एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) :— रुपये 3,00/- (रुपये तीन) प्रति बल्कलीटर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-03/2011/वा.कर (आब.)/पांच (10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-03/2011/वा.कर (आब.)/पांच (10), दिनांक 08 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 8th February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-3/2011/CT (Ex.)/V(10).—In Exercise of the powers conferred by clause (d), (e), (f), (g) and (h) of Sub-section (2) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession to the notification issued in the past in this behalf, the State Government hereby prescribed fee in respect of Export of Extra Neutral Alcohol (E.N.A.) from 1st April, 2011 as per given below :—

IMPORT FEE

(A) Extra Neutral Alcohol (E.N.A.) :— Rs. 3.00/- (Rs. Three) Per Bulk Litre.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-10/2011/वा.कर (आब.)/पांच (11).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों के अधिसूचना क्रमांक-14-पांच-पृ.आ., दिनांक 7 जनवरी 1960 के अधीन प्रकाशित आबकारी नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में :—
   1. सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक-8 के उप-नियम (2-क) के स्थान पर निम्नांकित शर्त क्रमांक-8 के उपनियम (2-क) प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

   "(2-क) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी दुकानें जिनकी अनुज्ञप्ति प्रारूप एफ. एल.-1, एफ. एल.-1 कक, एफ.एल.-1 ख, एफ. एल.-1 अ, एफ. एल.-1 घ, सी.एस.-2, सी.एस.-2 क, सी.एस.-2 घ, सी.एस.-3, टी-1 में है पूरे वर्ष भर 10:00 बजे पूर्वान्ह से 10:00 बजे अपरान्ह तक तथा रेस्टोरेन्ट बार जिनकी अनुज्ञप्ति एफ.एल.-2 में है पूरे वर्ष भर 10:00 बजे पूर्वान्हे से 10:30 बजे अपरान्ह तक खुली रहेंगी सिवाय उन होटल बार के जिनकी अनुज्ञप्ति एफ. एल.-3 में है, जो 10:00 बजे पूर्वान्ह से 11:00 बजे अपरान्ह तक खुली रहेंगी."

2. यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-10/2011/वा.कर (आब.)/पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-10/2011/वा.कर (आब.)/पांच (11), दिनांक 08 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 8th February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-10/2011/CT (Ex.)/V(11).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) read with the proviso to Sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and all other powers enabling in this behalf, the State Government after due consideration hereby makes the following further amendments in the Excise Rules published under this Department Notification No. 14-V-SR, dated 7th January, 1960, namely :-

AMENDMENTS

1. In the said rules :—
   1. In sub-rule (2-a) of condition, VIII of General Licence condition, the following sub-rule (2-a) of condition, VIII shall be substituted, namely :—
      "(2-a) Subject to sub-rule (2), shops having licence in form F.L.-1, F.L.-1 A, F.L.-1 AA, F.L.-1 B, F.L.-1 C, F.L.-1 D, C.S.-2, C.S.-2 A, C.S.-2 D, C.S.-3, T-1 shall remain open from 10:00 A.M. to 10:00 P.M., and restaurant-bar having licence in form F.L.-2 shall remain open from 10:00 A.M. to 10:30 P.M. except hotel-bar having licence in form F.L.-3 shall remain open from 10:00 A.M. to 11:00 P.M., throughout the year."

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-11/2011/वा.कर (आब.)/पांच (12).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस निमित्त जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा भांग के लिए ड्यूटी की दरें निम्नानुसार सारणी की कॉलम 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित करता है :—

सारणी

अ. क्र. (1)	आबकारी शुल्क योग्य वस्तु (2)	शुल्क की दर (3)
1.	भांग (भाण्डागार से प्रदाय लेने पर)	
	(क) नीलाम की गई भांग एवं भांगघोटा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदाय लिये जाने पर.	रुपये 100/- प्रति किलोग्राम

(1)	(2)	(3)
(ख)	खण्ड (क) में वर्णित अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदाय करने पर.	रुपये 300/- प्रति किलोग्राम

2. यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-11/2011/वा.कर (आब.)/पांच (12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-11/2011/वा.कर (आब.)/पांच (12), दिनांक 08 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 8th February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-11/2011/CT (Ex.)/V(12).—In Exercise of the powers conferred by Section 25 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government hereby, directs that the duties of bhang shall be levied at the rates specified in the corresponding entry in column (3) :—

AMENDMENTS

S. No. (1)	Excisable Articles (2)	Rate of Duty (3)
1.	**Bhang (On taking issue from warehouse)**	
(A)	On issues to be taken by licensees of bhang, and bhang ghota shops auctioned.	Rs. 100/- per kilogram
(B)	On issues given to licensees/users other than those mentioned in clause (a).	Rs. 300/- per kilogram

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-12/2011/वा.कर (आब.)/पांच (13).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में :—
   1. नियम-4 के उपनियम (1) में शब्द, समूह "तीन से अनधिक" के स्थान पर शब्द, समूह "दो से अनधिक" प्रतिस्थापित किया जाये.
   2. नियम-4 के उपनियम (2) में शब्द, समूह "तीन दुकानों से अधिक " के स्थान पर शब्द, समूह "दो दुकानों से अधिक" प्रतिस्थापित किया जाये.
   3. नियम-19 में शब्द एवं अंक "प्रात: 9.00 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक" के स्थान पर शब्द एवं अंक "प्रात: 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक" प्रतिस्थापित किया जाये.
   4. प्ररूप सी.एस.-2घ की सामान्य और विशेष शर्तों की शर्त क्रमांक-11 में अंक एवं शब्द "9.00 बजे सुबह से 10.30 बजे रात्रि तक" के स्थान पर अंक एवं शब्द "10.00 बजे सुबह से 10.00 बजे रात्रि तक" प्रतिस्थापित किया जाये.
   5. प्ररूप एफ. एल.-1घ की सामान्य और विशेष शर्तों की शर्त क्रमांक-17 में अंक एवं शब्द "9.00 बजे सुबह से 10.30 बजे रात्रि तक" के स्थान पर अंक एवं शब्द "10.00 बजे सुबह से 10.00 बजे रात्रि तक" प्रतिस्थापित किया जाये.
   6. प्ररूप सी.एस.-2ङ की शर्त क्रमांक-10 में अंक एवं शब्द "9.00 बजे सुबह से 10.30 बजे रात्रि तक" के स्थान पर अंक एवं शब्द "10.00 बजे सुबह से 10.00 बजे रात्रि तक" प्रतिस्थापित किया जाये.
2. उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-12/2011/वा.कर (आब.)/पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-12/2011/वा.कर (आब.)/पांच (13), दिनांक 08 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 8th February 2011

NOTIFICATION

No. F.10-12/2011/CT (Ex.)/V (13).—In Exercise of the powers conferred by Clause (d), (e), (f), (g) and (h) of Sub-section (2) and proviso of Sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Excise Settlement of Licenses for retails sale of Country/Foreign Liquor Rules, 2002, namely :—

AMENDMENTS

1. In the aforesaid rules :—
   1. In sub-rule (1) of rule-4 for the words "not more then Three" the words "not more then Two" shall be substituted.
   2. In sub-rule (2) of rule-4 for the words "Three" the words "Two" shall be substituted.
   3. In rule-19 for the words and figures "From 9.00 am to 10.30 pm" the words and figures "10.00 am to 10.00 pm" shall be substituted.
   4. In General and Special Condition No. 11 of Form C.S.-2 D for the words and figures "From 9.00 am to 10.30 pm" the words and figures "10.00 am to 10.00 pm" shall be substituted.
   5. In General and Special Condition No. 17 of Form F.L.-1D for the words and figures "From 9.00 am to 10.30 pm" the words and figures "10.00 am to 10.00 pm" shall be substituted.
   6. In Condition No.-10 of Form C.S.-2 E for the words and figures "From 9.00 am to 10.30 pm" the words and figures "10.00 am to 10.00 pm" shall be substituted.
2. This amendments shall come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-13/2011/वा.कर (आब.)/पांच (14).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में :— नियम-6 के उप-नियम (8) के खण्ड (1) के शब्द "50,000/-" के स्थान पर शब्द "5,00,000/-" से अनधिक तथा पुनरावृत्ति होने पर रुपये 10,00,000/-" और शब्द "1000/-" के स्थान पर "10,000/-" प्रतिस्थापित किया जाये.
2. यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-13/2011/वा.कर (आब.)/पांच (14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-13/2011/वा.कर (आब.)/पांच (14), दिनांक 08 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 8th February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-13/2011/CT (Ex.)/V (14).—In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of Sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby make the following further amendments in the Chhattisgarh Distillery Rules, 1995, namely :—

AMENDMENT

1. In the aforesaid rules :—
In clause (1) of sub-rule (8) of Rule 6 for word "50,000/-" by the word "5,00,000/- and for subsequent not exceeding Rs. 10,00,000/-" and for word "1,000/-" by the word "10,000/-" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.